135

242

निग-3736/2018/रीवा/भू-राज

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES विलोपित / विलोपित

5रु. कोर्ट फी COURT FEE पाँच रुपये विलोपित / विलोपित

1— शेष प्रताप सिंह परिहार
2— सुरेन्द्र सिंह
3— सतेन्द्र सिंह
4— शांति देवी पत्नी लक्ष्मण सिंह

तीनों के पिता स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह सभी निवासी ग्राम माला तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0

————निगरानीकर्तागण

बनाम

1— श्री उदय प्रताप सिंह
2— सूर्यनारायण सिंह

दोनों के पिता स्व0 श्री लक्ष्पति सिंह दोनों निवासी ग्राम माला तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0

————गैरनिगरानीकर्तागण

प्रस्तुत श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा पेश 20.6.18

रीडर सर्किट कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, वृत्त लालगॉव, तहसील सिरमौर, जिला रीवा पारित नक्शा तरमीम पुष्टि आदेश दिनांक 31.05.2018

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक प्रक्रिया के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(135)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3736/2018/रीवा/भू–रा0 जिला–रीवा

शेष प्रताप सिंह/उदयप्रताप सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त लालगांव, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक नक्शा तरमीम में पारित आदेश दिनांक 31.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	